भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.1746

जिसका उत्तर 01.08.2024 को दिया जाना है

महत्वपूर्ण सेवाओं के यातायात प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय नीति

1746. श्री योगेन्द्र चांदोलिया:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार एम्बुलेंस, अग्निशमन विभाग आदि जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए यातायात प्रबंधन संबंधी एक व्यापक राष्ट्रीय नीति का प्रस्ताव करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार आपातकालीन प्रतिक्रिया वाहनों की आसान पहुंच के लिए देश के प्रमुख क्षेत्रों में भीड़भाड़ कम करने का प्रस्ताव करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख) 1. शहरी नियोजन राज्य का विषय है। आमतौर पर, संबंधित राज्य सरकारों/शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरी विकास प्राधिकरणों द्वारा महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए यातायात प्रबंधन सहित शहरी परिवहन प्रणालियों की योजना प्रबंधन, क्रियान्वयन और विकास किया जाता है। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने यातायात प्रबंधन और भीड़भाड़ कम करने सहित विभिन्न परिवहन संबंधी मुद्दों से निपटने के स्थायी उपाय अपनाने के लिए विभिन्न मार्गदर्शक दस्तावेज जैसे राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति, 2006, मेट्रो नीति 2017 और पारगमन उन्मुख विकास नीति जारी की है।

2. मोटर यान अधिनियम, 1988, केंद्रीय मोटर यान नियमावली (सीएमवीआर), 1989 और मोटर वाहन (चालन) विनियम, 2017 में आपातकालीन कार्रवाई/महत्वपूर्ण सेवा वाहनों की आसान पहुंच के लिए यातायात प्रबंधन और भीड़भाड़ कम करने के संबंध में प्रावधान निर्धारित किए गए हैं।

(i) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 194ड. में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति मोटर वाहन चलाते समय अग्निशमन सेवा वाहन या एम्बुलेंस या राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट अन्य आपातकालीन वाहन के आने पर सड़क के किनारे नहीं रुकता है, तो उसे छह महीने तक की कैद या दस हजार रुपये का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

(ii) सीएमवीआर, 1989 का नियम 108 (1) (iv) मरीजों को ले जाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एम्बुलेंस वैन पर बैंगनी शीशे के साथ ब्लिंकर प्रकार की रेड लाईट या रोड एम्बुलेंस पर लगे चेतावनी लैंप के उपयोग की अनुमति देता है।

(iii) सीएमवीआर, 1989 का नियम 108 (4) में विशेष रूप से ऐसे आपातकालीन और आपदा प्रबंधन कर्तव्यों के लिए नामित किए गए केवल उन वाहनों पर बहुरंगी लाल, नीली और सफेद बत्ती के उपयोग की अनुमति है, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(iv) सीएमवीआर, 1989 का नियम 119 (3) एम्बुलेंस के रूप में या अग्निशमन या बचाव उद्देश्यों के लिए या पुलिस अधिकारियों या निर्माण उपकरण वाहनों के ऑपरेटरों या मोटर वाहन विभाग के अधिकारियों द्वारा अपने कर्तव्यों के दौरान या निर्माण उपकरण वाहनों पर ऐसे ध्वनि संकेतों के उपयोग की अनुमति देता है जिन्हें उस पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है, जिसके अधिकार क्षेत्र में ऐसे वाहन रखे जाते हैं।

(v) मोटर वाहन (ड्राइविंग) विनियम, 2017 के विनियमन 27 के उप-विनियम (2) के अनुसार किसी आपातकालीन वाहन का बहु-स्वर वाला हॉर्न और फ्लैशर चालू है, तो अन्य सभी वाहनों को उसे रास्ता देना होगा।

*****